छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग,मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर
अधिसूचना

रायपुर दिनांक 21.06.2011

क्रमांक एफ 20–112/2009/11/(6) राज्य शासन एतद् द्वारा ''औद्योगिक नीति 2009–14'' के परिशिष्ट–4 में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु अधिसूचित ''ब्याज अनुदान योजना'' के क्रियान्वयन हेतु दिनांक 01 **नवंबर 2009** से **''छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान नियम–2009''** निम्नानुसार लागू करता है ।

1 परिचय :–

राज्य में स्थापित फूड प्रोसेसिंग से संबंधित रोजगार प्रधान पोहा मिल, ऑयल मिल एवं ऑयल एक्सट्रेक्शन प्लांट के उद्योगों को अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनाने उत्पादन लागत कम करने के लिए मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान योजना बनायी गई है जिसके क्रियान्वयन हेतु **''छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान नियम–2009''** बनाये गये हैं जो सम्पूर्ण राज्य में दिनांक 01 नवंबर 2009 से लागू माने जावेंगे ।

2 परिभाषाएं :–

इस योजना के अन्तर्गत नवीन उद्योग, विद्यमान उद्योग, सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, मध्यम उद्योग, वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक, सामान्य वर्ग, अप्रवासी भारतीय/ शत प्रतिशत एफ0डी0आई0 निवेशक/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति वर्ग अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग द्वारा स्थापित उद्योग, विकलांग, महिला उद्यमी, सेवानिवृत्त सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पद पर कार्यरत कर्मचारियों, राज्य के मूल निवासी एवं इस अधिसूचना के क्रियान्वयन हेतु अन्य आवश्यक वही परिभाषाएं होगी जो औद्योगिक नीति 2009–14 के परिशिष्ट–1 पर दी गयी है ।

वैध दस्तावेज में सम्मिलित है –लघु उद्योग पंजीयन/ ई.एम. पार्ट–1/आई.ई. एम./औद्योगिक लायसेंस/आशय पत्र । इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु दस्तावेज की वैधता हेतु यह आवश्यक है कि दस्तावेज के निर्धारित वैधता अवधि में संबंधित उद्योग के पास भूमि का वैध आधिपत्य हो, या वैधता अवधि में उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण की स्वीकृति/ऋण की सैद्वांतिक स्वीकृति प्राप्त कर ली हो ।

3 पात्रता :–

(1) औद्योगिक नीति 2009–14 की कालावधि दिनांक 01.11.2009 से 31.10. 2014 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने वाले समस्त पोहा मिल, ऑयल मिल एवं ऑयल एक्सट्रेक्शन प्लांट के नवीन सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तथा मध्यम उद्योगों को अनुदान की पात्रता होगी ।

(2) औद्योगिक नीति 2009–14 के पूर्व जो विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योग (पोहा मिल, ऑयल मिल एवं ऑयल एक्सट्रेक्शन प्लांट) उत्पादनरत् हैं, उन्हें दिनांक 01.11.2009 को/के पश्चात् विद्यमान उद्योग में विस्तार करने पर विस्तारित क्षमता हेतु अनुदान की पात्रता होगी ।

(3) औद्योगिक नीति 2009–14 के पूर्व जो विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योग उत्पादनरत् हैं उन्हें दिनांक 01.11.2009 को/के पश्चात् विद्यमान उद्योग में शवलीकरण, बेकवर्ड इंटीग्रेशन एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए यदि पोहा मिल, ऑयल मिल एवं ऑयल एक्सट्रेक्शन प्लांट स्थापित किया जाता है तो अनुदान की पात्रता होगी ।

(4) उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम 5 वर्ष की सीमा तक अकुशल श्रमिकों में न्यूनतम 90 प्रतिशत, उपलब्धता की स्थिति में कुशल श्रमिकों में न्यूनतम 50 प्रतिशत तथा प्रबंधकीय/प्रशासकीय पदों पर न्यूनतम एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को प्रदाय किये जाने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(5) इस योजना के अधीन पात्रता हेतु औद्योगिक इकाईयों का कृषि उपज मंडी समितियों से वैध अनुज्ञप्ति प्राप्त होना आवश्यक है ।

(6) औद्योगिक इकाईयों द्वारा कृषि उपज मंडी समितियों से/समितियों के माध्यम से उनके उद्योग में लगने वाले कच्चे माल के क्रय एवं उसका उपयोग उत्पादन में करने पर ही अनुदान की पात्रता होगी ।

(7) ''मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान'' का प्रथम स्वत्व पात्र औद्योगिक इकाईयों के वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक /अधिसूचना जारी होने के दिनांक, जो पश्चातवर्ती हो से एक वर्ष के भीतर पूर्ण रूपेण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । पश्चातवर्ती प्रकरणों में वित्तीय वर्ष समाप्त होने के 03 माह के भीतर पूर्ण रूपेण आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा ।

प्रथम स्वत्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से वित्तीय वर्ष समाप्त होने के दिनांक तक की अवधि का होगा एवं पश्चातवर्ती प्रकरण वित्तीय वर्षवार (01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि तक) एवं अंतिम प्रकरण वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के दिनांक से पात्रता तिथि तक होगा ।

(8) इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने हेतु यह आवश्यक है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष तक उद्योग उत्पादनरत रहे/कार्यरत रहें ।

(9) विद्यमान उद्योग के विस्तार, शवलीकरण, बेकवर्ड इन्टीग्रेशन एवं फारवर्ड इन्टीग्रेशन से संबंधित प्रकरणों में उद्योग के पास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्व अभिस्वीकृति आवश्यक है ।

4 अनुदान की मात्रा :–

औद्योगिक इकाई द्वारा अपने उद्योग में उत्पादन हेतु कृषि उपज मंडी समितियों से/के माध्यम से किये गये आवश्यक कच्चे माल के क्रय हेतु भुगतान किये गये मंडी शुल्क के 50 प्रतिशत अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी, जिसकी अधिकतम सीमा रु. 5.00 लाख वार्षिक होगी जो नवीन/विद्यमान उद्योग में विस्तार /शवलीकरण /बेकवर्ड इंटीग्रेशन/फारवर्ड इंटीग्रेशन पर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि हेतु दी जावेगी ।

मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान में कच्चे माल पर भुगतान किये गये मंडी शुल्क को ही सम्मिलित किया जायेगा। कच्चे माल के परिवहन पर किये गये ट्रांसपोर्टिंग व्यय, मजदूरी, निराश्रित सहायता एवं अन्य व्यय सम्मिलित नहीं होंगे।

5 <u>प्रक्रिया व अधिकार :–</u>

5.1– औधोगिक इकाईयों को उपाबंध–1 अनुसार निर्धारित आवेदन पत्र में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन करना होगा जिसकी प्राप्ति की रसीद उपाबंध 5 में निर्धारित प्रारूप में कार्यालय द्वारा दी जावेगी ।

(1) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–1 /आई0ई0एम0

(2) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी ई0एम0 पार्ट–2 एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र तथा विद्यमान उत्पादनरत् औद्योगिक इकाईयों के विस्तार, शवलीकरण एवं फारवर्ड इंटीग्रेशन एवं बेकवर्ड इंटीग्रेशन से संबंधित प्रकरणों में संबंधित परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व एवं परियोजनाओं में उत्पादन प्रारंभ होने के पश्चात् स्थायी पंजीयन/ ई.एम. पार्ट–2 / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा इंद्राज ।

(3) उपाबंध–3 में निर्धारित प्रारूप पर मंडी शुल्क के भुगतान से संबंधित व्यय से संबंधित छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड/कृषि उपज मंडी समिति का प्रमाण पत्र एवं सूची ।

(4) उपाबंध– 4 में कृषि उपज मंडी समिति से क्रय किये गये आवश्यक कच्चे माल का विवरण ।

(5) अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ।

(6) विकलांग से संबंधित प्रकरणों में विकलांगता से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र

(7) सेवानिवृत्त सैनिक से संबंधित प्रकरणों में संबंधित शासकीय विभागीय/ कार्यालय से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र

(8) नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में जिले के कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित अधिकारी द्वारा प्रमाण–पत्र

(9) कृषि उपज मंडी समिति का अनुज्ञा पत्र

5.2– पात्र औद्योगिक इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के उपरांत ई0एम0 पार्ट–2 दाखिल करने तथा उत्पादन प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवेदन प्रस्तुत किया जावेगा। पूर्ण आवेदन प्राप्त होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा उपाबंध 5 में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति दी जावेगी ।

5.3– मुख्य महाप्रबंधक/ महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में सहायक प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से प्रस्तुत स्वत्व का परीक्षण एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन ''उपाबंध 4'' के अनुसार कराकर

''स्वत्व'' के नियमों के अधीन होने पर ''उपाबंध–6'' में निर्धारित प्रारूप पर ''स्वीकृति आदेश'' जारी किया जावेगा ।

मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में प्रबंधक स्तर के अधिकारियों से निरीक्षण करवाकर अपने अभिमत के साथ आवेदन पत्र सत्यापित सहपत्रों सहित पूर्ण आवेदन प्राप्त होने के 30 दिवसों के भीतर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जावेगा जिस पर अपर संचालक उद्योग / संयुक्त संचालक द्वारा स्वत्वों के नियमों के अधीन होने पर ''उपाबंध 6'' में निर्धारित प्रारूप पर स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा ।

सूक्ष्म एवं लघु तथा मध्यम उद्योगों का स्वत्व नियमानुसार न होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्तीकरण आदेश जारी किया जावेगा, जिसमें स्वत्व के ''निरस्तीकरण'' का कारण व निरस्तीकरण आदेश से औद्योगिक इकाई के सहमत न होने की स्थिति में निर्धारित कालावधि 45 दिवसों में अपीलीय अधिकारी को अपील करने संबंधी प्रावधान का भी उल्लेख होगा ।

5.4– मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान की स्वीकृति के पश्चात् उद्योग संचालनालय द्वारा मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान के बजट का आवंटन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों से प्राप्त मांग के आधार पर बजट उपलब्ध होने पर किया जावेगा ।

5.5– जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा बजट आंवटन उपलब्ध होने पर ही औद्योगिक इकाई को स्वीकृत अनुदान की राशि वितरित की जावेगी । अनुदान का वितरण ''अनुदान स्वीकृति'' के दिनांक के क्रम में किया जावेगा ।

5.6– बजट आवंटन उपलब्ध न होने पर अनुदान राशि देने में होने वाले विलंब का कोई दायित्व विभाग का नहीं होगा ।

5.7– राज्य के मूल निवासियों को स्थायी नियोजन पर प्रदाय किये गये रोजगार के सत्यापन की प्रक्रिया उद्योग संचालनालय के परिपत्र क्रमांक 164/औनीप्र/उसंचा–रा/2005/9766–81 दिनांक 13 जून 2006 के अनुसार की जावेगी ।

6 मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान की वसुली :–

6.1– यदि यह पाया जाता है कि औद्योगिक इकाई द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये हैं या तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है और इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान प्राप्त किया गया है तो अनुदान की पूर्ण राशि मय ब्याज, एकमुश्त वसूली योग्य हो जावेगी व यह वसूली भू –राजस्व के बकाया की वसूली के अनुसार की जा सकेगी। ब्याज की दर, वसूली आदेश जारी होने के दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू पी0एल0आर0 से 2 प्रतिशत अधिक होगी तथा पूर्ण वसूली के दिनांक तक ब्याज देय होगा ।

6.2 – अपर संचालक/संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय/मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को यह अधिकार होगा कि मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान का स्वत्व स्वीकृत होने के पश्चात् भी नियमानुसार नही पाये जाने पर मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान का स्वीकृति आदेश निरस्त कर सकें एवं वसूली आदेश जारी कर सकें/ जारी करने के आदेश दे सकें ।

6.3 – औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात् यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 3 (4) में उल्लेखित प्रतिशत से कम हो जाता है तो अनुदान की राशि वसूल की जा सकेगी।

6.4– एक बार मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान प्राप्त करने के पश्चात् यदि पश्चातवर्ती वर्षों में उद्योग बंद कर दिया जाता है तो बंद अवधि हेतु मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान नहीं दिया जा सकेगा।

6.5– छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड, रायपुर/कृषि उपज मंडी समिति से अनुज्ञप्ति निरस्त किये जाने पर अथवा मंडी अधिनियम/नियम/उपविधि के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर अनुदान की राशि वसूल की जा सकेगी।

7 अपील / वाद :–

1– मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी किसी आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग, उद्योग संचालनालय को की जा सकेगी किन्तु यदि उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग ही प्रमुख सचिव/सचिव हैं तो यह अपील अपर संचालक को की जावेगी । अपर संचालक के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त /संचालक उद्योग को की जा सकेगी ।

2– अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित प्रथम अपीलीय आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को की जा सकेगी ।

3– सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के प्रकरणों में अपील शुल्क रूपये 1000 एवं मध्यम उद्योगों के प्रकरणों में रूपये 2000 का भुगतान करने पर ही अपील स्वीकार होगी । अपील शुल्क का भुगतान प्रथम अपील करने पर ही करना होगा द्वितीय अपील पर कोई शुल्क देय नहीं होगा । अनुसूचित जाति/ जनजाति के प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा ।

4– अपील शुल्क का भुगतान ''निर्धारित हेड'' के तहत स्वीकार करते हुए चालान के द्वारा स्वत्व निरस्तीकरण अधिकारी /प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्राप्त किया जावेगा/जमा किया जावेगा।

5– कोई भी अपील आदेश जारी होने के 45 दिवसों के भीतर करनी होगी ।

6– अपीलीय अधिकारी को अपील करने में हुए विलंब तथा अनुदान हेतु आवेदन प्रस्तुत करने में हुये विलंब एवं अधिसूचना के अधीन किसी अन्य बिन्दु पर प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर विचार कर निर्णय लेने का अधिकार होगा। अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के आधार पर तथा अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने का एक अवसर प्रदान करते हुये अपील प्रकरण का निराकरण किया जावेगा ।

8 स्वप्रेरणा से निर्णय :–

राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, प्रमुख सचिव/सचिव/उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग किसी भी अभिलेख को बुला सकेंगे तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेंगे जैसा कि वे उचित समझें, परन्तु अनुदान को निरस्त करने या उसमें कमी करने के पूर्व प्रभावित पक्ष को सुनवाई का एक अवसर अवश्य दिया जावेगा ।

9 कार्यकारी निर्देश :

योजना के अन्तर्गत कार्यकारी निर्देश जारी करने हेतु उद्योग आयुक्त /संचालक उद्योग सक्षम होंगें । अनुदान से संबंधित किसी मुद्दे पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा मार्गदर्शन मांगे जाने पर उद्योग आयुक्त/उद्योग संचालनालय द्वारा मार्गदर्शन दिया जावेगा ।

10 नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में राज्य शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

11 इस योजना के अन्तर्गत कोई वाद होने पर राज्य के न्यायालय में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

12 योजना का क्रियान्वयन

योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय व उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

वित्त विभाग के यू.ओ. क्रमांक 407/सी.एन. 29976/बजट–5/वित्त/चार 2010 दिनांक 12.08.2010 द्वारा सहमति दी गई है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सही/–
(डी. डी. सिंह)
संयुक्त सचिव
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

उपाबंध–1

देखें (नियम 5.1)

(छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान नियम 2009 के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन पत्र)

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता –

2– फैक्ट्री स्थल– स्थान –
विकास खंड –
जिला –

3– उद्यमी का वर्ग–

4– औद्योगिक इकाई का संगठन–

5– ई0एम0पार्ट–1 एवं ई0एम0पार्ट–2 क्रमांक

6– वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक–

7– उत्पाद व वार्षिक उत्पाद क्षमता एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

8– स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में) –

9– छत्तीसगढ़ राज्य कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड / कृषि उपज मंडी समिति का अनुज्ञप्ति क्रमांक –

10– भुगतान किया गया मंडी शुल्क का विवरण –

7.1 अवधि (पाक्षिक) – दिनांक ..... से ..... तक

7.2 क्रय किये गये कच्चे माल की मात्रा एवं मूल्य –

7.3 भुगतान किया गया मंडी शुल्क –

11– अनुदान की क्लेम राशि (50 प्रतिशत राशि) –

12– रोजगार–

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
अकुशल वर्ग अ ..... ब ..... स				
कुशल वर्ग अ ..... ब ..... स				
प्रबंधकीय / प्रशासकीय वर्ग अ ..... ब ..... स				
योग				

स्थान :
दिनांकः

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

शपथ–पत्र

मै..... आत्मज..... प्रबंध संचालक / संचालक / एकल स्वामी / साझेदार, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, औद्योगिक इकाई ....जिसका पंजीकृत पता ..... है व फैक्ट्री..... में स्थित है व ई0एम0पार्ट–1 क्रमांक .....दिनांक .....एवं ई0एम0पार्ट–2 क्रमांक..... .....दिनांक ..... / वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक..... है, निम्नानुसार घोषणा करता हूँ –

1– औद्योगिक इकाई ..... की वार्षिक उत्पादन क्षमता .... की है एवं जिसके लिए मुख्य कच्चा ..... की वार्षिक आवश्यकता ..... है ।

2– औद्योगिक इकाई द्वारा अवधि (पाक्षिक) ..... में कच्चा माल ..... का कुल क्रय ..... मात्रा में किया गया है जिसमें से कृषि उपज मंडी समितियों से /के माध्यम से किये गये क्रय की मात्रा ..... है एवं इस प्रयोजन हेतु रू. ..... का मंडी शुल्क का भुगतान संबंधित कृषि उपज मंडी समितियों ....किया गया है ।

4– यह भी शपथ पूर्वक घोषित किया जाता है कि उद्योग में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि तक अकुशल, कुशल एवं प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में क्रमशः 90 प्रतिशत, 50 प्रतिशत एवं एक तिहाई रोजगार राज्य के मूल निवासियों को दिया जाता रहेगा ।

5– औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य शासन के किसी विभाग से मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान प्राप्त किया है ।

या

औद्योगिक इकाई द्वारा राज्य सरकार के किसी विभाग से मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान हेतु आवेदन किया है /अनुदान प्राप्त किया है ।

6– उपरोक्त जानकारी गलत /त्रुटिपूर्ण /मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी घोषणा का उल्लंघन पाये जाने पर या स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान स्वीकृति आदेश निरस्त कर अनुदान की राशि वापसी की मांग की जाती है तो 15 दिवसों के भीतर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को अनुदान राशि मय निर्धारित ब्याज वापस की जावेगी ।

स्थान :
दिनांकः

हस्ताक्षर
नाम
पद
औद्योगिक इकाई का नाम व पता
सील

''उपाबंध–3'

देंखें (नियम 5.1 (3)

(मंडी शुल्क से संबंधित प्रमाण–पत्र)

(लेटर हैड पर मूल प्रति में)

औद्योगिक इकाई .....
.....जिसका पंजीकृत पता ..... है व फैक्ट्री ..... में स्थित है, जिसका ई0एम0पार्ट–1 क्रमांक .... दिनांक ..... एवं ई0एम0पार्ट–2 क्रमांक..... दिनांक ..... एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक..... है, ने अवधि दिनांक .....से ..... अवधि तक कृषि उपज मंडी समिति ..... को कच्चे माल ..... के क्रय हेतु रूपये ..... मंडी शुल्क के रूप में भुगतान किया गया है, जो निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है :–

क्र0	**कृषि उपज मंडी समिति का नाम**	**दिनांक**	**क्रय किये गये कच्चे माल का नाम व मात्रा**	**कच्चे माल की क्रय राशि (रूपये में)**	**भुगतान किये गये मंडी शुल्क की राशि (रूपये में)**
1.	**2.**		**3.**	**4.**	**5.**
1					
2					
3					
4					
	योग				

स्थान :
दिनांक :

सक्षम प्राधिकारी
कृषि उपज मंडी समिति

औद्योगिक इकाई का नाम व पता
अधिकृत व्यक्ति का नाम
पदनाम
हस्ताक्षर

''उपाबंध 4''

देखें (नियम 5.3)

निरीक्षण अधिकारी की टीप व अभिमत

1— औद्योगिक इकाई का नाम व पता —

2— फैक्ट्री स्थल —

स्थान —

विकास खंड —

जिला —

3— ई0एम0पार्ट—1 क्रमांक .....दिनांक .....

एवं ई0एम0पार्ट—2 क्रमांक.....दिनांक .....

/ वाणिज्यिक उत्पादन प्रमाण पत्र क्रमांक—

4— उत्पाद व वार्षिक उत्पाद क्षमता—

एवं वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक —

5— स्थायी पूंजी निवेश (रू. लाखों में) —

6— भुगतान किया गया मंडी शुल्क का विवरण —

7.1 अवधि (पाक्षिक) — दिनांक ..... से ..... तक

7.2 क्रय किये गये कच्चे माल की मात्रा एवं मूल्य —

7.3 भुगतान किया गया मंडी शुल्क —

8— अनुदान की क्लेम राशि (50 प्रतिशत राशि) —

7— उद्योग वर्तमान में चालू/ बंद है ।

8— **रोजगार—**

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
अकुशल वर्ग अ ..... ब ..... स				
कुशल वर्ग अ ..... ब ..... स				
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग अ ..... ब ..... स				
योग				

3— औद्योगिक इकाई द्वारा मंडी शुल्क के रूप में राशि रू0 ..... का भुगतान किया गया है जिसमें से रू..... की राशि अमान्य की जाती है एवं अनुदान हेतु मान्य राशि रू0 ..... है । राशि अमान्य किये जाने के कारण निम्नानुसार है :—

1—

2—

3—

4—

4— अभिमत / अनुशंसा

निरीक्षणकर्ता अधिकारी
के हस्ताक्षर

स्थान :
दिनांक

नाम
पद

उपाबंध–6

देखें (नियम 5.3)

मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान योजना के अंतर्गत स्वीकृति आदेश

उद्योग संचालनालय/ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

(वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक ..... के अधीन)

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक द्वारा अधिसूचित **छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान नियम 2009** के नियम क्रमांक ''5.3'' में प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन निम्नानुसार **मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद द्वारा जारी की जाती है ।

1– औद्योगिक इकाई का नाम व पता :

2– उद्योग का संगठन– :

3– उद्यमी का वर्ग– :

4– उत्पाद व वार्षिक उत्पादन क्षमता

5– वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक

6– औद्योगिक इकाई का कार्यस्थल
(स्थान, विकास खंड व जिला)

7– मंडी शुल्क के रूप में भुगतान की गई राशि

8– स्वीकृत अनुदान राशि (अंकों व अक्षरों में)

(2) यह राशि वित्तीय वर्ष–.....के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी
मांग संख्या–
.....

(3) यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा, कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्त किया जावेगा ।

अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उद्योग
संचालनालय, छत्तीसगढ़/
मुख्य महाप्रबंधक/**महाप्रबंधक**
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

''उपाबंध–5''

देखें (नियम 5.1)

(अभिस्वीकृति)

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .....

मेसर्स ..... पता.....
..... द्वारा **छत्तीसगढ़ राज्य मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान नियम 2009** ..... के अन्तर्गत आवेदन दिनांक.....
(अक्षरी) ..... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक .....
..... है । भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें ।

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
पद
सील